

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/70/2022

तारीख रजु 21.03.2022

कर्णसिंह

बनाम

समवती वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.03.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आराजी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 25, 258, 268, वाके गालाखेडा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 07.04.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 07.04.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) कठूमर (अलवर)</p> <p>7/4/22</p> <p>14/6/22</p> <p>14/6/22</p> <p>समवती देष हुई। आज बार एसो. के कार्य स्थित कर रहा है। P.O साहब 30/22 and 4 अप्रार्थीगण विनांक 23/01/22 का पत्र है।</p>	

